

मांग संख्या 64
मुख्य शीर्ष 2202

मद क्रमांक 1 से 2

कस्तुरबा गांधी आवासीय विद्यालय हेतु राज्यांश राशि रूपये 100.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 3 से 4

एन.पी.ई.जी.ई.एल. हेतु राज्यांश राशि रूपये 50.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 5

आश्रम और शालाओं के कर्मचारियों के वेतन भत्ते हेतु रूपये 30.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 30,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 6 से 7

सर्वशिक्षा अभियान हेतु राज्यांश राशि रूपये 2056.57 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 20,56,57,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 8

कला, विज्ञान तथा वाणिज्य महाविद्यालय के कर्मचारियों के वेतन भत्ते आदि के लिये अतिरिक्त राशि रूपये 100.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2210

मद क्रमांक 9

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के कर्मचारियों के वेतन भत्ते हेतु रूपये 270.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 2,70,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 10 से 11

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के राज्यांश हेतु रूपये 300.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 3,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 12

चिकित्सा महाविद्यालय के छात्रों के वर्धित शिष्यवृत्ति हेतु रूपये 5.70 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 5,70,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2215

मद क्रमांक 13 से 14

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम अंतर्गत राज्यांश के रूप में राशि रूपये 420.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 4,20,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2225

मद क्रमांक 15 से 16

अखिल भारतीय परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र के कर्मचारियों के वेतन भत्ते हेतु रूपये 13.50 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 13,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2236

मद क्रमांक 17

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना के अंतर्गत सामग्री और पूर्तियाँ हेतु रूपये 30.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है। उक्त व्यय विभागीय बचत से किया जावेगा।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2405

मद क्रमांक 18

मछुवारों के मत्स्य पालन / मत्स्याखेट के दौरान दुर्घटना बीमा प्रदाय हेतु राशि रूपये 0.15 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 15,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2408

मद क्रमांक 19

रियायती दर पर आयोडाईज्ड नमक वितरण हेतु राशि रूपये 296.96 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है। यह राशि अन्य मद से समर्पित कर लायी जावेगी।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 2,96,96,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2501

मद क्रमांक 20 से 21

एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.) अंतर्गत राज्यांश मद में राशि रूपये 13.11 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 13,11,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2851

मद क्रमांक 22

उद्योगों को ब्याज अनुदान दिये जाने हेतु राशि रूपये 100.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है। यह राशि अन्य मद से समर्पित कर लायी जावेगी।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4202

मद क्रमांक 23

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था हेतु मशीन उपकरण क्रय करने के लिये राशि रूपये 53.00 लाख का व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से की जावेगी।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।